



Neutral Citation No. - 2026:AHC:31180

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-बी संख्या 576/2026

निशारूल हक

...याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी(यो)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : कमलेश कुमार सिंह, विवेक कुशवाहा
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.सी. श्रीवास्तव, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी-गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी की दलीलें सुनी गईं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"प्रतिवादी संख्या 2 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत जनवरी 2026 से लंबित पुनरीक्षण संख्या 61/2026 (निशारूल हक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) का निर्णय निर्धारित अवधि के भीतर करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि विभाजन के मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री उचित ढंग से पारित की गई थी और संहिता एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार कुरा तैयार किया गया था। उन्होंने निवेदन किया कि बहाली आवेदन गलत आधारों पर दायर किया गया है जिसे उप-विभागीय अधिकारी ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका और स्थगन याचिका राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि राजस्व बोर्ड को लंबित पुनर्विचार याचिका पर निर्णय लेने

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



का निर्देश दिया जाए और पुनर्विचार याचिका के लंबित रहने तक बहाली आवेदन को स्वीकार करने वाले आदेश के संचालन पर रोक लगाई जाए।

4. मैंने विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है याचिकाकर्ता से परामर्श लिया और अभिलेखों का अवलोकन किया।

5. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि लेखपाल द्वारा तैयार किए गए कुर्रा के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत मुकदमे की कार्यवाही को बहाल करने के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का खारिज इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व बोर्ड उपरोक्त कार्यवाही को यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 2 माह की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार, तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाए।

फरवरी 12, 2026

सी.प्रकाश

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”